न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:–249/2017/223 (2017/00249)

1. चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जलिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर जरिये इसके अध्यक्ष रामगोपाल जाट पुत्र रामलाल, निवासी जालिया द्वितीय, तह0विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. रामगोपाल जाट, पुत्र रामलाल, निवासी जालिया द्वितीय तह0 विजयनगर जिला अजमेर अध्यक्ष श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
3. मोहन शर्मा पुत्र सुआलाल, जाति ब्राहमण, निवासी जालिया द्वितीय तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय, तह0 विजयनगर जिला अजमेर ।
4. भैरूलाल पुत्र धन्नालाल जाति जाट, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
5. रमेश छीपा पुत्र हरकचंद छीपा, जाति छीपा, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
6. रमेश मालवीया पुत्र रामरतन जाति मालवीया, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
7. कृष्ण मुरारी सोनी पुत्र कन्हैयालाल, जाति सोनी (स्वर्णकार) निवासी जालिया द्वितीय तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
8. रामचन्द माली पुत्र नन्दराम जाति माली, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ट्रस्टी श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ट्रस्ट जालिया द्वितीय तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छगनलाल जाट पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी अस्तल मौहल्ला, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. किशनलाल पुत्र लालाराम, जाति जाट, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।
3. रतनलाल पुत्र धूकलजी, जाति जाट, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमे ।
4. भोमाराम पुत्र मिश्रीलाल, जाति जाट, निवासी जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।

5. गोपाल पुत्र नारायण जाट, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 6.9.2017 अंतर्गत वाद संख्या 37/2016.

उपस्थितः–

1. श्री वी0एस0भाटी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सी0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय दिनांक 6.9.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53,92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर जिला अजमेर में एक श्री चारभुजा जी छोटा अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज का मंदिर स्थित है जिसकी ग्राम जालिया द्वितीय में कृषि भूमिया खसरा संख्या 4519 रकबा 4 बीघा ढाई बिस्वा, खसरा नंबर 4520 रकबा 3 बीघा साढे पांच बिस्वा, खसरा नंबर 4521 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 4522 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 4523 रकबा 60 बीघा साढे ग्यारह बिस्वा, खसरा नंबर 4524 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 4525 रकबा 4 बीघा साढे सोलह बिस्वा, खसरा नंबर 4803 रकबा 5 बीघा डेढ़ बिस्वा, खसरा संख्या 4808 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 4809 रकबा 3 बीघा साढे ग्यारह बिस्वा, खसरा संख्या 4815 रकबा साढे चार बिस्वा, खसरा संख्या 4824 रकबा 5 बीघा साढे चार बिस्वा, खसरा नपबर 5397 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 5398 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 5399 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 5400 रकबा 1 बीघा साढे पांच बिस्वा, एवं खसरा संख्या 3639 रकबा 24 बीघा है । उक्त मंदिर श्री चारभुजा जी छोटी अस्तल एवं श्री रघुनाथ जी महाराज एवं इसकी कृषि भूमियों का ट्रस्ट बना हुआ है जो देवस्थान विभाग में पंजीकृत है जिसका वादी/अपीलांट संख्या 2 अध्यक्ष है एवं वादी/अपीलांट संख्या 3 लागयत 8 ट्रस्टी है । प्रतिवादी/प्रतिवादी संख्या 1 वर्ष 2013 से 2015 तक उक्त प्रन्यास में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था जिसको ट्रस्ट के प्रतिकूल कार्य करने से दिनांक 8.10.2015 को ट्रस्टीयों की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया तत्पश्चात् उक्त मंदिर की कृषि भूमि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 में निविष्ठ नहीं रही एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का उक्त मंदिर की कृषि भूमि से कोई वास्ता संबंध सरोकार नहीं रहा । इसके उपरांत प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 ने मिलीभगत कर गैर कानूनी रूप से एवं बिना किसी अधिकारिता के दिनांक 27.3.2016 को उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि की काश्त का ठेका एक वर्ष के लिए

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 को दिया एवं उनसे एडवांस राशि भी प्राप्त कर ली जिसकी जानकारी वादी/अपीलांटस को होने पर वादीगण/अपीलांटस ने उक्त वादपत्र अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमियां वादीगण/अपीलांटस में निविष्ठ है इसलिये उक्त कृषि भूमियों की काश्त का ठेका देने की राशि प्राप्त करने का अधिकार केवल इसके ट्रस्टीयों को है इसकी घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उपरोक्त खसरा नंबर की काश्त के ठेके की कोई राशि प्राप्त नहीं करे तथा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि की वे काश्त नही करे/करावे तथा वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई विघ्न, बाधा रूकावट पैदा नहीं करे । अधी0न्याया0 ने वाद को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । दिनांक 2.8.2017 को अभिभाषकगण प्रतिवादीगण की और से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसमें केवल एक ही बिन्दु कि प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है इसलिये वाद पत्र को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 6.9.2017 को निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार कर वाद को गैर कानूनी रूप से निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अधी0न्याया0 के समक्ष, जवाबदावा पेश करने से पूर्व ही पेश कर दिया इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अपरिपक्व होने से संधारण योग्य नहीं था एवं प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज योग्य था इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने ना केवल प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया अपितु इस पर निर्णय भी पारित करने में भूल की है । विधि के अंतर्गत जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत शक्ति न्यायालय को प्रदत्त की गई है एवं एक मात्र न्यायालय उक्त शक्ति का प्रयोग कर वाद को जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत खारिज कर सकता है परन्तु यह शक्ति किसी पक्षकार को विधि के अंतर्गत प्रदत्त नही की गई है इसलिये प्रतिवादीगण को जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों/अभिकथनों से बाहर जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत किसी वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वाद विधि से वर्जित है । अगर किन्ही बिन्दुओं के विनिश्चयन हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर, प्रतिवाद पत्र अथवा प्रार्थना पत्र में वर्णित अतिरिक्त कथनों को पढ़ना पड़े अथवा अन्य दस्तावेजात का अवलम्बन लेना पड़े तो ऐसे मामले में दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अंतर्गत खारिज नहीं किया जा सकता है । ऐसे मामलें में वादपत्र, वादोत्तर आदि के आधार पर विवाद्यक विरचित किए जाने चाहिये और तत्पश्चात् साय आदि की विवेचना के पश्चात् ही निर्णय किया जाना होता है । किन्हीं विवाद्यकों को, विधिक प्रकृतिक का होने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

की स्थिति में अन्य विवाद्यक से पूर्व निर्णित किया जा सकता है परन्तु इसके लिए प्रकरण को साक्ष्य एवं दस्तावेजात के स्तर से गुजरना व साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना करना आवश्यक है । इसके उपरांत भी अधी०न्याया० ने प्रकरण को साक्ष्य एवं दस्तावेज के स्तर से गुजरना तो दूर जवाबदावा प्राप्त किये बिना ही वादपत्र को खारिज कर भारी तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि जब न्यायालय द्वारा वाद का परीक्षण आदेश 7 नियम 11 जा०दी90 के अंतर्गत इस आधार पर किया जा रहा हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा परीक्षण का आधार आदेश 7 नियम 11 का उपनियम(घ) हो ता उपनियम (घ) की शब्दावली Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law" पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय है कि आदेश 7 नियम 11 (घ) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी और वाद खारिज करते समय न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वाद पत्र के कौन से अभिकथन के कारण दावा किस विधि से बाधित है । अगर वादपत्र में किसी अभिकथन सेदावा विधि से वर्जित नहीं है तो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों के आधार पर दावे को प्राथमिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 ना तो प्रतिवादीगण के द्वारा हस्ताक्षरित है और ना ही शपथ पत्र से समर्थित है जो ग्रहण किये जाने योग्य ही नहीं था इसके उपरांत भी अधी०न्याया० ने प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया वरन् आलौच्य आदेश से स्वीकार कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 में जो प्रावधान किये गये है उनके अन्तर्गत स्पष्टतया उल्लेखित है कि वादपत्र कब खारिज किया जा सकता है इसलिये जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत किसी भी वाद को केवल उन्हीं परिस्थितियों में खारिज किया जा सकता है जिसमें आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के Ingridient मौजूद हो । अधी०न्याया० ने अपने आलौच्य आदेश दिनांक 6.9.2017 में यह विनिश्चय देने में भूल की है कि वादीगण/अपीलांटस ने वादपत्र के अनुतोष में किसी भूमि में खातेदारी अधिकारों को लेकर कोई घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी भूमि में किसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का भी अनुतोष नहीं चाहा है । जबकि वादीगण ने अपने वादपत्र के अनुतोष के पैरा संख्या 1.2 व 3 में स्पष्टतया अंकित किया है कि उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमियों की काश्त का ठेका देने का अधिकार वादीगण/अपीलांटस को है की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी/रेस्पो० संख्या 2 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त खसरा नंबर की भूमियों की काश्त नहीं करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा रूकावट पैदा नहीं करे । इस प्रकार वादीगण ने कृषि भूमियों की काश्त नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है सिविल न्यायालय की अधिकारिता को धारा 207 व 256 में वर्जित किया हुआ है । अधी०न्याया० ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि उक्त विवादित भूमियां एक पंजीकृत ट्रस्ट की है जिस पर किसी विवाद को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, भारी भूल की है । कृषि भूमियां किसी पंजीकृत ट्रस्ट की सम्पति के रूप में दर्ज हो जाने मात्र से उसकी किस्म नहीं बदल जाती है बल्कि कृषि भूमियां ही रहेगी जिसकी काश्त के बाबत् कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपने निर्णय में यह विनिश्चयन देने में कि वादपत्र के पद संख्या 8 से

10 में मूल रूप से ट्रस्ट की भूमियों को ठेके पर देने एवं ठेके से प्राप्त राशि को लेकर विवाद उत्पन्न होना पाया जाता है जिसमें ट्रस्ट के ट्रस्टियों का आपसी विवाद ट्रस्ट की भूमियों को ठेके पर देने तथा राशि प्राप्त करने के संबंध में है जिससे प्रस्तुत धाराओं में यह वाद पोषणीय नहीं है, भारी भूल की है । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि तृतीय अनूसूची में निर्दिष्ठ समस्त वाद तथा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेगा । तृतीय अनुसूची में किसी फसल की उपज संबंधी झगड़े के निपटारे का आवेदन पत्र तथा इजारेदारों व ठेकेदारों द्वारा या उनके विरूद्व वाद का उल्लेख स्पष्टतया किया हुआ है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 6.9.2017 निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2015 (2) पेज 242, ए0आई0आर0 1986 बॉम्बे पेज 46, डब्ल्यू0एल0सी0 2011 (4) राज0 पेज 531, ए0आई0आर0 1991 जम्मू एण्ड कश्मीर पेज 1, ए0आई0 2003 पेज 58, 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 638, आर0एल0डब्ल्यू0 2008 (2) पेज 1147 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत वास्ते घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था । वादीगण द्वारा वादपत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व 256 में इस बाबत् स्पष्ट प्रावधान किये गये है । वादीगण ने अनुतोष में किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी भूमि में किसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष नहीं चाहा है । वाद में ट्रस्टीयों का आपसी विवाद ट्रस्ट की भूमियों को ठेके पर देने तथा राशि प्राप्त करने के संबंध में है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । विवादित भूमियां पंजीकृत ट्रस्ट की है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 88, 188 एवं 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया किन्तु अनुतोष में खातेदारी अधिकारों को लेकर घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है ना ही व्यक्ति विशेष की खातेदारी भूमि में किसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा है बल्कि वादपत्र के पैरा संख्या 8 व 10 में मूल रूप से ट्रस्ट की भूमियों को ठेके पर देने एवं ठेके से प्राप्त राशि को लेकर विवाद होने के कारण हस्तगत वाद पेश किया है । पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि ट्रस्ट के ट्रस्टीयों का आपसी विवाद ट्रस्ट की भूमि को ठेके पर देने तथा राशि प्राप्त करने के संबंध में है । उक्त विवाद के संबंध में प्रस्तुत वाद धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पोषणीय नहीं है । इसके अतिरिक्त वादीगण ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है अंकित किया है कि वादीगण एक पंजीकृत प्रन्यास है जिससे जाहिर होता है कि उक्त विवादित भूमियां एक पंजीकृत ट्रस्ट की है जिस पर किसी विवाद को सुनवाई किये जाने

क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.9.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर